न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
सीमा खेतान (आरटीएस)
दिनांक–.19.3.19

मि.न.– 73 / 19

सरकार बनाम महेन्द्र

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पुरूषोतमपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम पुरूषोतमपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30 रकबा 17.35है0 किस्म जमीन चारागाह मेंसे 0.01है0 पर महन्द्र पुत्र चतरू जाति बावरिया निवासी पुरूषोतमपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने झौंपडी बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया तथा नाही कोई सबूत साक्ष्य पेश किया गया । लिहाजा गैरसायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैर सायल महेन्द्र पुत्र चतरू कोम बावरिया निवासी पुरूषोतमपुरा को वाके ग्राम पुरूषोतमपुरा के खसरा नंबर 30 / 17.35है0 किस्म चारागाह सरकारी भूमि में से 0.01 है 0 भूमि पर झोंपडी का निर्माण करना अतिक्रमण करने की श्रेणी में आता है जिसके विरूद्व अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः महेन्द्र पुत्र चतरू कोम बावरिया निवासी पुरूषोतमपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम पुरूषोतमपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30 / 17.35है0,किस्म जमीन चारागाह मे से 0.01है0 पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा उक्त आराजियात से मौके पर बनी झोपडी को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान 0.8रू का पचास गुणा राशि 4 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। वास्ते बेदखली, पैलन्टी वसूल भू – अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का को लिखा जावे , मांग कायमी हेतु तहसील

राजस्वलेखाकार को लिखा जावे।निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 19.3.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

882